फर्द अहकाम

सोनिका जैन बनाम सरकार

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 42/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		03/11/23 पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे/ अन्य कार्य [illegible] के कारण कार्यवाही नहीं [illegible]। पत्रावली दिनांक...08/12/23...को पेश हो।
		08/12/23 पत्रावली [illegible] हुई। वकुलाय द्वारा [illegible]लेन्स/ [illegible] करने के कारण कार्यवाही नहीं की [illegible] पत्रावली दिनांक... 12/01/24 को पेश हो।
	12/01/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार बस्सी के पत्रांक रीडर/2023/152 दिनांक 09/11/2023 द्वारा रिपोर्ट पूर्व मे प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को अंतिम डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा न. 310/18, 310/20, 310/21 स्थित ग्राम सांभरिया प. ह. सांभरिया तह: बस्सी जि- जयपुर के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज वादिनी का नाम मोनिका देवी के स्थान पर सोनिका जैन दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करने हेतु निवेदन कर डिक्री फरमाने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता द्वारा

[illegible]

फर्द अहकाम

सोनिका बनाम सरकार

...य : सहायक कलक्टर, बस्सी

प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 42/2023

...क आज्ञा ...कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने एवं तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट का गहन अवलोकन करने के उपरान्त हम पाते है कि उक्त वादग्रस्त आराजी का उपपंजीयक बस्सी के यहां सोनिका जैन पत्नी सुनील जैन निवासी प्लाट न. 37 माडल टाउन जगतपुरा जयपुर के नाम पंजीयड हुआ है एवं तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह एक लिपिकीय त्रुटि जाहिर होता है। इसलिए तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वादिनी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है अत: वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि खसरा न. 310/18 रकबा 0.0759 है., 310/20 रकबा 0.5184 है., 310/21 रकबा 0.6702 है. स्थित ग्राम सांभरिया प.ह. सांभरिया तह. बस्सी जि. जयपुर मे वादिनी काश्तकार का नाम मोनिका देवी के स्थान पर सोनिका जैन पत्नी सुनील जैन दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करें। डिक्री पर्चा जारी हो तहरीर जारी हो पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर बस्सी जिला-जयपुर	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी कनक जैन (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

वादी **प्रतिवादीगण**

बनाम

1. सोनिका जैन पत्नि सुनील जैन जाति जैन निवासी प्लाट नं. ए–28, मॉडल टाउन जगतपुरा रोड जयपुर जरिये मुख्त्यारआम सुनील जैन पुत्र फतेहचन्द जाति जैन निवासी प्लाट ए–28 मॉडल टाउन जगतपुरा जयपुर।

1. तहसीलदार बस्सी तह. बस्सी जिला जयपुर।

<u>दावा बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती</u>

मु0न0 42/23

वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाकर तहसीदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 310/18 रकबा 0.0759 है., 310/20 रकबा 0.5184 है., 310/21 रकबा 0.6702 है. स्थित ग्राम सांभरिया प.ह. सांभरिया तह. बस्सी जिला जयपुर में वादिनी काश्तकार का नाम मोनिका देवी के स्थान पर सोनिका जैन पत्नि सुनील जैन दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करें। ....निजी..................मुबलिक.................. ....बाबत.......................................खर्चा.......................................इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.... ....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व् मुहर अदालत के आज तारीख 12.01.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तख्त.......................
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला–जयपुर

ओहदा.......................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		

मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण